



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 2012/वैशाख 8, 1934

No. 781]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 2012/VAISAKHA 8, 1934

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2012

का.आ. 940(अ).— केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2012 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) “मल्टी-सिस्टम आपरेटर” से ऐसा केबल आपरेटर अभिप्रेत है जो किसी प्रसारणकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकरणों से कार्यक्रमण सेवा प्राप्त करता है और उसे पुनः पारेषित करता है या साथ ही साथ या तो बहु अभिदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए अपनी स्वयं की कार्यक्रमण सेवा को सीधे पारेषित करता है अथवा एक या अधिक स्थानीय केबल आपरेटरों के माध्यम से पारेषित करता है और उसके अंतर्गत उसके प्राधिकृत वितरण अभिकरण भी हैं, जो किसी भी नाम से ज्ञात हों ;

(घ) “अधिसूचित क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके संबंध में कोई तारीख, अधिनियम की धारा 4अ की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है ;

(ज) “रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी केबल आपरेटर के संबंध में, ऐसे क्षेत्र का प्रधान डाकघर का प्रधान पोस्टमास्टर, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर केबल आपरेटर का कार्यालय स्थित है ;

(ii) नियम 11ग के अधीन रजिस्ट्रीकृत मल्टी सिस्टम आपरेटर के संबंध में, केंद्रीय सरकार ;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2क. केबल आपरेटरों के लिए पात्रता मापदंड- निम्नलिखित मापदंड ऐसे आवेदक द्वारा पूरे किए जाएंगे जो नियम 3 के अधीन कोई आवेदन करता है, अर्थात् :—

(क) जहां आवेदक, कोई व्यक्ति है, वहां वह भारत का नागरिक होगा और उसकी आयु अठारह वर्ष से कम की नहीं होगी ;

(ख) जहां आवेदक, व्यष्टियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, चाहे वह निगमित है या नहीं है, ऐसे संगम या निकाय के सदस्य, भारत के नागरिक होंगे और उनकी आयु अठारह वर्ष से कम की नहीं होगी ;

(ग) जहां आवेदक, कोई कंपनी है, वहां ऐसी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी होगी और वह विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं ;

(घ) आवेदक, कोई अननुमोचित दिवालिया नहीं होगा ;

(ङ) आवेदक, सक्षम न्यायालय द्वारा यथाघोषित विकृतचित्त व्यक्ति नहीं होगा ;

(च) आवेदक, किसी दांडिक अपराध का दोषसिद्ध नहीं होगा ।

4. उक्त नियमों में, नियम 4 का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“5. केबल आपरेटर का रजिस्ट्रीकरण — (1) यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक, नियम 2अ के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता मापदंड और नियम 3 की अपेक्षाओं को पूरा करता है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, नियम 5अ में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्ररूप 3 में, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(2) जहां कोई आवेदन, द्विप्रतिक प्रमाणपत्र के जारी करने के लिए प्राप्त हुआ है वहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, नियम 2अ और नियम 3 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, प्ररूप 3अ में द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण को प्रदान नहीं किया जा सकता है वहां वह, आवेदक को ऐसी नामंजूरी की प्ररूप 4 में आवेदन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर सूचना देगा ।”

6. उक्त नियमों में, नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“5क. रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधन और शर्तें— ऐसा व्यक्ति, जिसको नियम 5 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, वह निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसा व्यक्ति, अधिनियम और उसके अधीन नियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करेगा ;

(ख) ऐसा व्यक्ति, प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियमों और जारी किए गए आदेशों या निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा ;

(ग) ऐसा व्यक्ति, ऐसे केबल आपरेटर के स्तर पर नियंत्रित चैनल पर प्रदान की गई कार्यक्रमण सेवा को, जो नियम 6 में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम कोड और नियम 7 में विनिर्दिष्ट विज्ञापन कोड के उल्लंघन में है, नहीं चलाएगा ।

5ख. कतिपय दशाओं में कोडिकरण में पारेषण के लिए रजिस्ट्रीकरण समझा जाना—जहां किसी क्षेत्र के संबंध में, कोई केबल आपरेटर पहले से रजिस्ट्रीकृत किया गया है और ऐसा रजिस्ट्रीकरण उस तारीख तक विधिमान्य है जब ऐसे क्षेत्र को धारा 4अ की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया था, वहां वह ऐसे क्षेत्र के संबंध में उसकी विधिमान्यता की शेष अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा :

परंतु ऐसा केबल आपरेटर—

(i) ऐसे क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की शेष अवधि के लिए डिजिटल प्रसारण सिस्टम के माध्यम से कोडिकरण रूप में किन्हीं चैनलों के कार्यक्रमों को पारेषित या पुनःपारेषित करता है ; और

(ii) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों और प्राधिकारी द्वारा बनाए गए या जारी किए गए विनियमों, आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करता है :

परंतु यह और कि जहां ऐसा केबल आपरेटर, ऐसा करने में असफल रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण जो इस प्रकार विधिमान्य समझा गया है, उस तारीख से, जब ऐसा क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, रद्द हो जाएगा ।”

7. उक्त नियमों में नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“10. प्रसारणकर्ता, मल्टी सिस्टम आपरेटर और केबल आपरेटर की बाध्यताएं— प्रत्येक प्रसारणकर्ता, मल्टी सिस्टम आपरेटर और केबल आपरेटर, ऐसे विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और आदेशों का पालन करेंगे, जो प्राधिकारी द्वारा बनाए जाएं या जारी किए जाएं ।”

8. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“11क. मल्टी-सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—(1) किसी अधिसूचित क्षेत्र में अंकीय संबोध्य प्रणाली वाली केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सेवा प्रदान करने की वांछा करता है, प्ररूप 6 में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को मल्टी-सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ, निम्नलिखित होंगे,—

(क) एक लाख रुपए की प्रोसेसिंग फीस ;

(ख) प्ररूप 2 में घोषणा ।

11ख. मल्टी-सिस्टम आपरेटर के लिए पात्रता मानदंड—ऐसे किसी आवेदक द्वारा, जो नियम 11क के अधीन कोई आवेदन करता है, निम्नलिखित मानदंड पूरा किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) जहां आवेदक कोई व्यक्ति है, वहां वह भारत का नागरिक होगा और अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं होगा ;

(ख) जहां आवेदक कोई व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय है, चाहे निगमित हो या नहीं, ऐसे संगम या निकाय के सदस्य भारत के नागरिक होंगे और अठारह वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे ;

(ग) जहां आवेदक कोई कंपनी है, वहां ऐसी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी होगी और विदेशी प्रत्यक्ष निधान से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं ;

(घ) आवेदक कोई अनुन्मोचित दिवालिया नहीं होगा ;

(ङ) आवेदक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया विकृत वित्त का व्यक्ति नहीं होगा ;

(च) आवेदक किसी दंडिक अपराध का दोषसिद्ध नहीं होगा ।

11ग. मल्टी-सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण—(1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक नियम 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड और नियम 11क की अपेक्षाओं को पूरा करता है, नियम 11ग में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों तथा केंद्रीय सरकार से सुरक्षा अनापत्ति के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त नहीं किया जा सकता है, वहां वह ऐसे नामंजूर किए जाने के कारण देते हुए आवेदक को लिखित में सूचित करेगा ।

11घ. मल्टी-सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधन और शर्तें--(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे नियम 11ग के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसा व्यक्ति, अधिनियम के सभी उपबंधों और उनमें बनाए गए नियमों का पालन करेगा ;

(ख) ऐसा व्यक्ति, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों या जारी किए गए आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा ;

(ग) ऐसे व्यक्ति की प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट टेलीविजन चैनलों की न्यूनतम संख्या को संभालने की क्षमता होगी ।

(घ) ऐसा व्यक्ति, ऐसे मल्टी-सिस्टम आपरेटर के स्तर पर तैयार किए गए चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी कार्यक्रम सेवा नहीं चलाएगा, जो नियम 6 में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम संहिता और नियम 7 में विनिर्दिष्ट विज्ञापन संहिता के उल्लंघन में हों ।

11ड. अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण--जहां कोई आवेदन नियम 11क के अधीन किया गया है और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यह समझता है कि रजिस्ट्रीकरण के लंबित रहते हुए अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करना आवश्यक है, वहां वह उस आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा के पश्चात् अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करेगा :

परंतु ऐसा अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण आवेदक को नियमित रजिस्ट्रीकरण का दावा करने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा :

परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा नियमित रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किए जाने से इंकार किया जाता है, वहां इस प्रकार अनुदत्त अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा ।

11च. कतिपय मामलों में मल्टी-सिस्टम आपरेटर का समझा गया रजिस्ट्रीकरण--क्षेत्रों में उस तारीख को, जब ऐसे क्षेत्र धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किए जाते हैं, केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने वाला कोई मल्टी-सिस्टम आपरेटर, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से उन क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं तब तक प्रदान नहीं करता रहेगा, जब तक ऐसे आपरेटर को धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त नहीं किया जाता है :

परंतु ऐसा मल्टी-सिस्टम आपरेटर को, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 (2011 का 21) के प्रवृत्त होने से पूर्व अधिसूचित क्षेत्रों में आपरेट करने की अनुमति दी गई है, ऐसी अनुमति की विधिमान्यता की शेष अवधि के लिए ऐसे क्षेत्रों की बाबत नियम 11ग के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा आपरेटर अंकीय संबोध्य प्रणाली के प्रचालन के लिए अधिसूचित तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को एक वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित होगा, अर्थात् :—

(क) ऐसा आपरेटर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी अंकीय संबोध्य प्रणाली के माध्यम से केवल इनक्रिप्टिड रूप में ही चैनलों का पारेषण या पुनः पारेषण करेगा ;

(ख) ऐसा आपरेटर अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों या जारी किए गए आदेशों, निदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा ; और

(ग) ऐसा आपरेटर नियम 11क में यथाविहित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास प्रोसेसिंग फीस जमा करेगा :

परंतु यह भी कि जहां ऐसा आपरेटर ऐसा करने में असफल रहता है वहां ऐसी अनुमति, जो विधिमान्य समझी गई है, उस तारीख से, जब ऐसा क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है, रद्द हो जाएगी ।

9. उक्त नियमों में, नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“12. जन चेतना, चैनलों पर सूचना, चैनलों की कीमत, क्वालिटी मानक और शिकायत का दूर किया जाना — (1) प्रत्येक प्रसारणकर्ता, मल्टी सिस्टम आपरेटर और केबल आपरेटर अधिसूचित क्षेत्रों में के अभिदाताओं के बीच ऐसे क्षेत्रों के अधिसूचित किए जाने की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व की किसी अवधि से समाचारपत्रों में और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देकर या ऐसे अन्य साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत पर्णक, रसीदों के पीछे मुद्रण, व्यक्तिगत मुलाकातें, अभिदाताओं या उपभोक्ता समूहों के साथ सामूहिक बैठकें, केबल सर्विस और वेबसाइट भी है, जन चेतना पैदा करेगा या उन्हें सूचना प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डिजिटल संबोध्य केबल सिस्टम के प्रमुख लक्षण और विशिष्टतया निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

(क) ए-ला-कार्ड अभिदान दरें और ऐसे आवधिक अंतराल जिन पर ऐसे अभिदान विभिन्न चैनलों को लेने के लिए संदेय हैं ;

(ख) प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप और सेट-टाप बाक्स के लिए दैनिक मासिक संदेय किराया और विस्तृत विनिर्देश जैसे कि मेक, माडल, तकनीकी विनिर्देश, उपभोक्ता मैनुअल और अनुरक्षण केंद्र ;

(ग) उन फ्री-टू-एयर चैनलों की संख्या और उनके नाम, जो मल्टी-सिस्टम आपरेटर अभिदाताओं को उपलब्ध कराएगा ;

(घ) प्राधिकरण द्वारा नियत मूलभूत सेवा टियर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अभिदाता द्वारा संदत्त किए जाने वाले मासिक सेवा प्रभार और मल्टी-सिस्टम आपरेटर द्वारा प्रस्थापित अतिरिक्त फ्री-टू-एयर चैनलों की संख्या, यदि कोई हो ;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा मानकों की क्वालिटी और मल्टी-सिस्टम आपरेटर द्वारा इन मानकों का अनुपालन करने के लिए किए गए इंतजाम ;

(च) मल्टी-सिस्टम आपरेटर द्वारा सेट-टाप बाक्सों के कार्यकरण का प्रदर्शन करने और अभिदाताओं के साथ उन्हें सिस्टम के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए उसके विभिन्न

वित्तीय, संचार तंत्र और तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए स्थापित अभिदाता प्रबंधन सिस्टम ;

(छ) मल्टी-सिस्टम आपरेटर और स्थानीय केबल आपरेटर तथा अभिदाताओं के बीच सेवा मानकों की क्वालिटी, संदायों और प्रतिदायों के संबंध में विवादों के समाधान के लिए विद्यमान इंतजाम ।

(2) प्रत्येक केबल आपरेटर और मल्टी सिस्टम आपरेटर उनके द्वारा प्रस्थापित सेवाओं की बाबत अभिदाताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र की प्रकल्पना ऐसी रीति में करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और उसके ब्यौरों की सूचना अभिदाताओं को केबल सर्विस या वेबसाइट या किन्हीं अन्य समुचित साधनों के माध्यम से देगा और ऐसी सूचना में उस स्थान का, जहां कोई अभिदाता शिकायत फाइल कर सकता है, पता और टेलीफोन नंबर और उस समयावधि का, जिसके भीतर शिकायतों को भेजा जाएगा तथा अभिदाता को शिकायत के दूर किए जाने की सूचना देने की रीति और अभिदाता से उस पर प्रतिपुष्टि का उल्लेख होगा ।

(3) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्यक्षतः और प्राधिकृत अभिकरणों के, जिनके अंतर्गत उपभोक्ता संगठन भी हैं, माध्यम से जन चेतना क्रियाकलापों का इंतजाम कर सकेगा ।

10. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“13. **सेट-टाप बाक्सों का प्रदाय और अधिष्ठापन** - (1) अधिसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक अभिदाता, जो एक या अधिक चैनल प्राप्त करने की वांछा करता है, ऐसे किसी भी मल्टी सिस्टम आपरेटर से, जिसे नियम 11ग के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, प्रत्यक्षतः या अपने किसी भी लिंक स्थानीय केबल आपरेटर से अपने परिसर में एक या अधिक सेट-टाप बाक्सों का प्रदाय करने और उन्हें अधिष्ठापित कराने के लिए और उसी के माध्यम से अपेक्षित चैनल दिखाने के लिए संपर्क कर सकता है :

परंतु प्रत्येक अभिदाता अनुमोदित क्वालिटी का सेट-टाप बाक्स, जो मल्टी सिस्टम आपरेटर के सिस्टम से तकनीकी रूप से संगत हो, खुले बाजार से, यदि उपलब्ध हो, क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा और मल्टी सिस्टम आपरेटर और केबल आपरेटर किसी अभिदाता की केवल उसी से सेट-टाप बाक्स क्रय करने या किराए पर लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर ऐसे प्रत्येक अभिदाता के परिसर में, जो उपनियम (1) के अधीन ऐसे आपरेटर से संपर्क करता है, अपेक्षित संख्या में सेट-टाप बाक्सों का ऐसे क्वालिटी मानकों के अनुसार, जो प्राधिकरण द्वारा किसी विनियम या आदेश द्वारा अवधारित किए जाएं, उपापन, प्रदाय और अधिष्ठापन करेगा और, यथास्थिति, उसी के माध्यम से या अभिदाता द्वारा अपने स्वयं से अर्जित अनुमोदित क्वालिटी के सेट-टाप बाक्स के माध्यम से अपेक्षित चैनलों का पारेषण करेगा ।

(3) प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर ऐसी समय सीमा के भीतर, जो प्राधिकरण द्वारा विनियम या आदेश द्वारा अवधारित की जाए, अभिदाताओं को रिकार्डिंग करके दक्ष और

त्रुटिहीन सेवा सुनिश्चित करने के लिए और चैनलों, बिलिंग साइकिल और प्रतिदायों के संबंध में व्यक्तिगत अधिमान देने के लिए अपनी अभिदाता प्रबंध प्रणाली स्थापित करेगा और प्रचालित करेगा।

(4) किसी अभिदाता द्वारा मल्टी सिस्टम आपरेटर के सेवा क्षेत्र को छोड़ने पर, उसे अपना सेट-टाप बाक्स अभ्यर्पित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और सेट-टाप बाक्स के संबंध में किए गए प्रतिभूति निक्षेप का, यदि कोई हो, निम्नलिखित दशा में पूर्ण प्रतिदाय किया जाएगा—

(क) जहां सेट-टाप बाक्स अभिदाता द्वारा मल्टी सिस्टम आपरेटर से क्रय किया गया था, वहां ऐसा आपरेटर उन शर्तों के अनुसार, जो अभिदाता को सेट-टाप बाक्स के क्रय किए जाने के समय बताई गई थीं, कटौती करने के पश्चात् सेट-टाप बाक्स को वापस क्रय कर लेगा ;

(ख) यदि अभिदाता, ऐसे आपरेटर के सेवा क्षेत्र के भीतर अपने परिसर को बदल लेता है तो उसे उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर नए पते पर एक नया सेट-टाप बाक्स उपलब्ध कराए जाने के लिए एक अंतरण वाउचर दिया जाएगा :

परंतु ऐसा अभिदाता, जो ऐसे आपरेटर या अपने लिंक केबल आपरेटर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, उस आपरेटर को अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसी दशा में जहां अभिदाता नेटवर्क को अपनाना चाहता है, वहां मल्टी सिस्टम आपरेटर और उसका लिंक केबल आपरेटर, अभिदाता को सेट-टाप बाक्स के अधिष्ठापन के समय बताई गई शर्तों के अनुसार कटौतियां करने के पश्चात् उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए सेट-टाप बाक्स को अभ्यर्पित करने के लिए अनुज्ञात करेगा ।।

11. उक्त नियमों में, नियम 15 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 9/10/2012-बी. पी. एंड एल.]

सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव

- (केवल रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए भरा जाए)
10. (क) रजिस्ट्रीकरण की दूसरी प्रति जारी करने के लिए कारण अभिकथिति करें
(रजिस्ट्रीकरण का कटाफटा या विकृत प्रमाणपत्र/मूल प्रमाणपत्र के चोरी होने या खो जाने की दशा में की गई पुलिस रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)
- (ख) मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति चाही गई है.....
11. दस्तावेज संलग्न करें :
- क) व्यक्ति की दशा में
- पहचान का सबूत
 - निवास का सबूत
 - पैन संख्या
 - चालू आय-कर विवरणी की प्रति, यदि कोई हो
 - रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में, आयकर, सेवा कर और मनोरंजन कर की प्रति ।
- ख) संगम या व्यक्तियों के निकाय की दशा में
- दस्तावेज जिसके द्वारा संगम या व्यक्तियों का निकाय अस्तित्व में आया जिसके अंतर्गत पदाधिकारियों के नाम और ब्यौरे भी हैं ।
 - पैन संख्या
 - चालू आय-कर, सेवाकर और मनोरंजन कर के लिए वर्तमान कर विवरणी की प्रति, यदि कोई हो
 - रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में आय कर, सेवा कर, और मनोरंजन कर की प्रति ।
- ग) कंपनी की दशा में
- कंपनी ने निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति के साथ संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रति, निदेशक बोर्ड, मुख्य कार्यकारी शेयर पैटर्न के ब्यौरे ।
 - पैन संख्या
 - चालू आय-कर, सेवा कर और मनोरंजन कर के लिए वर्तमान कर विवरणी की प्रति, यदि कोई हो ।
(यदि यह संख्या आवेदन के समय उपलब्ध नहीं है तो दो मास के भीतर प्रभार सेवा को अनुज्ञात किया जा सकता है । आवेदन से रजिस्ट्रीकरण के प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ इस प्रभाव का शपथपत्र देने की अपेक्षा होगी) ।
 - रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में, आयकर, सेवा कर और मनोरंजन कर की प्रति ।

[टिप्पण : उपरोक्त में किसी परिवर्तन की दशा में, ऐसे परिवर्तन होने के एक मास के भीतर उसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा ।]

(टिप्पण : 10 रु० के स्टांप पेपर पर प्ररूप 2 में घोषणा संलग्न करें।

(*रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए भरना होगा) हां/नहीं।

मैं/हम..... आवेदक(आवेदकों) * (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यक्तियों का निकाय) यह घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त तथ्य सभी परिप्रेक्ष्यों में सही हैं।

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति
**व्यक्ति/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यक्तियों का निकाय) के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम.....

तारीख :

पता.....

जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

(नियम 3(3) और नियम 11क(2) देखिए)

मैं/हम..... आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/व्यक्ति संगम/व्यक्ति निकाय) केबल आपरेटर/ मल्टी सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए/केबल आपरेटर/मल्टी सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :-

(i) मैं/हम यह सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि मेरा/हमारा केबल टेलीविजन नेटवर्क/ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों, आदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों के अनुसार चलाया जाएगा ।

(ii) मैं/हम किसी ऐसे व्यक्ति को, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने का पात्र नहीं है, अपने/हमारे केबल टेलीविजन नेटवर्क को चलाने की अनुज्ञा नहीं दूंगा/देंगे/ उसको चलाने के लिए सहयोजित नहीं करूंगा/करेंगे ।

(iii) मैं/हम, अपने केबल टेलीविजन नेटवर्क के अभिदाता(ओं) के समाधानप्रद रूप में अपनी पूरी योग्यता के अनुसार केबल सेवा उपलब्ध करने का प्रयास करूंगा/करेंगे ।

(iv) मैं/हम अपनी पूरी योग्यता से यह सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि मेरे/हमारे केबल टेलीविजन नेटवर्क का किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है ।

(v) मैं/हम अपना केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने के लिए सुसंगत प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त करूंगा/करेंगे ।

(vi) मैं/हम भारत के भीतर केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने की बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश का पालन करूंगा/करेंगे ।

(vii) मैं/हम अंकीय संबोध्य सिस्टम के माध्यम से इनक्रिप्टेड रूप में अधिनियम की धारा 4क के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में चैनलों का प्रसारण या पुनः प्रसारण करूंगा/करेंगे ।

(viii) मैं/हम, मेरे/हमारे स्तर पर तैयार किए गए चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी कार्यक्रमण सेवा का प्रवहन नहीं करूंगा/करेंगे, जो नियम 6 और नियम 7 में विहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन में है ।

(ix) मुझे/हमें किसी दंडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है ।

(x) मैं/हम किसी सक्षम न्यायालय द्वारा यथा घोषित विकृतचित्त का नहीं हूँ/हैं ।

(xi) मैं/हम अनुन्योचित दिवालिया नहीं हूँ/हैं ।

(xii) मैंने/हम (केबल आपरेटर की दशा में) ने उपरोक्त प्ररूप 1 में और (मल्टी सिस्टम आपरेटर की दशा में) यथाविहित सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर
(व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम
व्यष्टियों का निकाय)

स्थान :

नाम :

तारीख :

पता :

उस शब्द या शब्दों को काट दें जो लागू नहीं होते हैं ।

प्ररूप 3 के स्थान पर नया प्ररूप रखा जाएगा अर्थात्—

प्ररूप -3

(नियम 5(1) देखिए)

भारत सरकार

प्रधान डाक घर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्यांक

1. श्री/श्रीमती/मैसर्स..... जो का निवासी है/के निवासी हैं, ... नामित कंपनी..... शहर/नगर में पते पर से 12 मास की अवधि के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने के लिए केबल आपरेटर (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय) की हैसियत से रजिस्ट्रीकृत है/हैं ।

2. यह प्रमाणपत्र केवल ऊपर वर्णित परिसर के लिए विधिमान्य है ।

3. यह प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन है कि आवेदक, ऐसे केबल आपरेटर के स्तर पर, तैयार किए गए चैनल पर उपलब्ध कराई किसी कार्यक्रमण सेवा में ऐसे कार्यक्रम का प्रवहन नहीं करेगा जो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के क्रमशः नियम 6 और नियम 7 में अधिकथित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन में है।

4. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तान्तरणीय है।

5. यह प्रमाणपत्र ऊपर उपदर्शित कालाविधि तक या धारक जब तक केबल सेवा चलाता है या जहां प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब तक विधिमान्य बना रहेगा।

प्रधान डाकपाल

प्रधान डाकघर

..... (नगर/शहर)

स्थान :

तारीख :

केबल आपरेटर के परिसर में सहज दृश्य रूप में संप्रदर्शित किया जाएगा।

* जो समुचित हो, उस पर निशान लगाएं।

प्ररूप 3क के स्थान पर नया प्ररूप रखा जाएगा अर्थात्—

प्ररूप -3क

(नियम 5(2) देखिए)

भारत सरकार

प्रधान डाक घर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति

1. श्री/श्रीमती/मैसर्स..... जो..... का निवासी है/के निवासी हैं/..... नामित कंपनी शहर/नगर में पते पर से 12 मास की अवधि के लिए (वह तारीख जिससे मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विधिमान्य था) केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने के लिए केबल आपरेटर * (व्यक्ति/फर्म/*कंपनी/व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय) की हैसियत से रजिस्ट्रीकृत है/हैं।

2. यह प्रमाणपत्र केवल ऊपर वर्णित परिसर के लिए विधिमान्य है।

3. यह प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन है कि आवेदक, ऐसे केबल आपरेटर के स्तर पर, तैयार किए गए चैनल पर उपलब्ध कराई किसी कार्यक्रमण सेवा में ऐसे कार्यक्रम का प्रवहन नहीं करेगा जो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के क्रमशः नियम 6 और नियम 7 में अधिकथित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन में है।

151248119-4

4. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तान्तरणीय है ।

5. यह प्रमाणपत्र ऊपर उपदर्शित कालाविधि तक या धारक जब तक केबल सेवा चलाता है या जहां प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब तक विधिमान्य बना रहेगा ।

प्रधान डाकपाल

प्रधान डाकघर

..... (नगर/शहर)

स्थान :

तारीख :

केबल आपरेटर के परिसर में सहज दृश्य रूप में संप्रदर्शित किया जाएगा ।

* जो समुचित हो, उस पर निशान लगाएं ।

प्ररूप 4 के स्थान पर नया प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्,

प्ररूप 4

(नियम 5(3) देखें)

सेवा में,

.....

महोदय,

केबल आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने तारीख के आवेदन का संदर्भ लें ।
निम्नलिखित कारण (कारणों) से आपको अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता है :--

(i) निम्नलिखित कारणों से आवेदन अपूर्ण है :

क

ख

ग

(ii) रजिस्ट्रीकरण फीस प्रदान नहीं दी गई है ।

(iii) आवेदक भारत का नागरिक नहीं है ।

(iv) कोई अन्य कारण

स्थान :

तारीख :

प्रधान डाक पाल

प्रधान डाक घर

प्ररूप 6 के स्थान पर नया प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्,

प्ररूप 6

(नियम 11क देखें)

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में,

सचिव,

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन

नई दिल्ली 110001

विषय: किसी या अधिक अधिसूचित क्षेत्रों में अंकीय संबोध्य प्रणाली सहित केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के लिए मल्टीसिस्टम आपरेटरों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन।

महोदय,

रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए मैं निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करता हूँ।

1. (क) आवेदक का नाम (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) **
 (ख) आयु/स्थापना की तारीख/निगमन की तारीख
 (ग) उस परिसर का पता जहां से सेवाओं की प्रस्थापना की जाएगी
2. (क) नागरिकता (व्यष्टिक आवेदकों/व्यष्टियों के निकाय के लिए)
 (ख) कंपनी की दशा में निगमन के ब्यौरे।
3. (क) वेतन और लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में देय 1,00,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट
 (ख) स्थायी खाता संख्या
 (ग) विद्यमान आय-कर, सेवा कर और मनोरंजन कर विवरणियों की प्रति। यदि उपलब्ध नहीं हों तो उसके कारण
 (घ) व्यक्ति/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय की सेवा कर पंजीकरण संख्या (यदि आवेदन के समय संख्या उपलब्ध नहीं हो तो उसे प्रस्तुत करने के लिए दो मास की अवधि अनुज्ञात की जा सकती है। आवेदक द्वारा इस निमित्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आवेदन के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है)
 (ङ) मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्या

4. केबल आपरेटर के रूप में विद्यमान रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे
 - क) उस डाकघर का नाम जिसके साथ रजिस्ट्रीकृत है
 - ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या/वैधता की तारीख
 - ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (संलग्न)
5. टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित पूरा पता
 - क) निगमित कार्यालय/प्रधान कार्यालय
 - ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
 - ग) प्रादेशिक कार्यालय
 - घ) पत्राचार के लिए पता
6. संपर्क के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल
7. *कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे : निगमन संख्या और तारीख (निगमन प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
8. *निदेशक बोर्ड [जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, माता पिता, राष्ट्रियता, स्थायी पता, निवास का पता, अधिकारिक पता, पासपोर्ट संख्या (यदि कोई हो) देते हुए प्रत्येक निदेशक के जीवनवृत्त के साथ निदेशकों की सूची संलग्न करें] की अर्हता, अनुभव आदि ।
9. *ऊपर 8 में यथावर्णित ब्यौरों के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक सहित महत्वपूर्ण कार्यकारियों की सूची संलग्न करें ।
10. प्राधिकृत शेयर पूंजी (ii) संदत्त शेयर पूंजी (iii) शुद्ध मूल्य (तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा की प्रति तथा किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा इन दस्तावेजों के आधार पर शुद्ध मूल्य का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।
11. एमएसओ के रूप में केबल सेवा के प्रचालन के लिए निधियों की उपलब्धता/प्रबंध के ब्यौरे (प्राप्त सबूत संलग्न किया जाना है)
12. (i) प्रचालन का विद्यमान क्षेत्र (यदि एक से अधिक नगर हैं तो नगर वार ब्यौरे दिए जाएं) ।
(ii) डिजिटली संबोध्य प्रणाली अधिसूचित क्षेत्र या आवेदक द्वारा कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (यदि एक से अधिक नगर हैं तो नगर वार ब्यौरे दिए जाएं) ।
13. उपलब्ध कराए जा रहे चैनलों की संख्या (स्वयं/प्रसारणकर्ता के) (स्वयं के चैनलों और प्रसारणकर्ता के चैनलों के पृथक नाम दें) ।
14. क्या प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में चैनल चलाने की क्षमता उपलब्ध है । हां/नहीं ।
15. उपलब्ध कराई जा रही अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं (उनकी अनुज्ञप्तियों की प्रतियों सहित ब्यौरे) ।
16. प्रत्येक स्थानीय केबल आपरेटर और उनके कवर किए जा रहे उपभोक्ताओं की कुल संख्या (स्थानीय केबल आपरेटरों के टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित सूची और प्रत्येक केबल आपरेटर के ग्राहकों की संख्या संलग्न करें) ।
17. पूर्व अनुभव क्रियाकलाप के क्षेत्र के ब्यौरे ।

18. ग्राहकों के लिए पर्याप्त संख्या में सैट टॉप बाक्सों की आपूर्ति और अनुरक्षण तथा ग्राहक प्रबंध प्रणाली के प्रतिष्ठापन के लिए तैयारी (पहले से उपलब्ध सैट टॉप बाक्सों की संख्या/दिए गए आदेश/प्राधिकृत व्यक्तियों के नेटवर्क/आपूर्ति और बिक्री उपरान्त सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभिकर्ता सहित अपने दावे के समर्थन में ब्यौरे में) ।
19. डिजिटल संबोध्य प्रणाली (डीएस) स्कीम के अधीन चैनलों की आपूर्ति के लिए प्रसारणकर्ताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए करारों की संख्या (प्रसारणकर्ताओं का नाम और उनके चैनलों की संख्या के साथ अपने दावे के समर्थन में करारों की प्रतियां दें) ।
20. प्ररूप 2 के अनुसार दस रुपए के स्टॉप पेपर में वचनबद्ध ।

मैं/हम..... आवेदक** (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) यह घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त तथ्य सभी परिप्रेक्ष्यों में सही हैं । मैं/हम यह वचन देते हैं कि हम सभी शर्तों/निर्देशों/आदेशों का पालन करेंगे जो कि केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी अधिसूचित क्षेत्रों में डीएस स्कीम के निर्विघ्न कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए अधिकथित/जारी करे ।

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

** (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2012

S.O. 940(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

'2. Definition.— In these rules, unless the context otherwise requires

(a) "Act" means the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995);

(b) "form" means the form appended to these rules;

5-6/1962/51

(c) "Multi-System Operator" means a cable operator who has been granted registration under rule 11C and who receives a programming service from a broadcaster or its authorised agencies and re-transmits the same or transmits his own programming service for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more local cable operators and includes his authorised distribution agencies, by whatever name called;

(d) "notified area" means the area in respect of which the date has been notified by the Central Government under sub-section (1) of section 4 A of the Act;

(e) "registering authority" means—

(i) in relation to a cable operator registered under rule 5, the Head Post Master of a Head Post office of the area within whose territorial jurisdiction the office of cable operator is situated;

(ii) in relation to a Multi-System Operator registered under rule 11C, the Central Government;

(f) the words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meaning assigned respectively to them in the Act.'

3. In the said rules, after rule 2, the following rule shall be inserted, namely:—

"2A. Eligibility criteria for cable operators.— The following criteria shall be fulfilled by an applicant who makes an application under rule 3, namely:—

(a) where the applicant is a person, he shall be a citizen of India and not less than eighteen years of age;

(b) where the applicant is an association of individuals or body of individuals, whether incorporated or not, the members of such an association or body shall be citizens of India and not less than eighteen years of age;

(c) where the applicant is a company, such company shall be a company registered under the Companies Act, 1956 and shall be subject to such conditions relating to foreign direct investment as may be decided by the Central Government;

(d) the applicant shall not be an un-discharged insolvent;

(e) the applicant shall not be a person of unsound mind as declared by a competent court;

(f) the applicant shall not be convicted of any criminal offence."

4. In the said rules, rule 4 shall be omitted.

5. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. Registration of cable operator.— (1) On being satisfied that the applicant fulfils eligibility criteria specified under rule 2A and the requirements of rule 3, the registering authority shall, subject to the terms and conditions specified in rule 5A, issue certificate of registration or renewal of registration, as the case may be, in Form-3.

(2) Where an application is received for issue of duplicate certificate, the Registering Authority shall, having regard to the requirements of rules 2A and 3, issue a duplicate Registration Certificate in Form 3A.

(3) Where the registering authority is satisfied that registration or renewal of registration cannot be granted, he shall inform the applicant of such refusal within forty-five days of the date of receipt of application in Form 4"

6. In the said rules, after rule 5, the following rules shall be inserted, namely:--

"5A. Terms and conditions for registration.—A person who has been granted certificate under rule 5 shall comply with the following terms and conditions, namely:--

(a) such person shall comply with all the provisions of the Act and the rules thereunder;

(b) such person shall comply with the regulations made, and the orders or directions or guidelines issued, by the Authority;

(c) such person shall not carry programming service provided on the channel generated at the level of such cable operator which is in violation of the Programme Code specified in rule 6 and the Advertising Code specified in rule 7.

5B. Deemed registration for transmission in encrypted in certain cases.—

Where, in respect of an area, a cable operator has already been registered and such registration is valid as on the date when such area was notified under sub-section (1) of section 4A, he shall be deemed to have been registered in respect of such area for the remaining period of its validity:

Provided that such cable operator —

(i) transmits or re-transmits programmes of any channels in an encrypted form through a digital addressable system for the remaining period of the validity of registration in such areas; and

(ii) complies with all the provisions of the Act and the rules made thereunder, and the regulations, orders, directions or guidelines made or issued by the Authority;

Provided further that where such cable operator fails to do so, the registration which is so deemed to have been valid, shall stand cancelled with effect from the date when such area is notified."

7. In the said rules, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:--

"10. Obligations of Broadcaster, Multi-System Operator and cable operator.—Every Broadcaster, Multi-System Operator and cable operator shall comply with the regulations, guidelines and orders as may be made or issued by the Authority"

8. In the said rules, for rule 11, the following rules shall be substituted, namely:-

"11A. Application for registration as a Multi-System Operator.—(1) For the purpose of operation of cable television network services with digital addressable system in a notified area, a person who desires to provide such service shall make an application for registration as Multi-System Operator to the registering authority in Form 6.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by-

- a processing fee of rupees one lakh;
- declaration in Form 2;

11B. Eligibility criteria for Multi-System Operator.— The following criteria shall be fulfilled by an applicant who makes an application under rule 11A, namely:-

(a) where the applicant is a person, he shall be a citizen of India and not less than eighteen years of age;

(b) where the applicant is an association of individuals or body of individuals, whether incorporated or not, the members of such an association or body shall be citizens of India and not less than eighteen years of age;

(c) where the applicant is a company, such company shall be a company registered under the Companies Act, 1956 and shall be subject to such conditions relating to foreign direct investment as may be decided by the Central Government;

(d) the applicant shall not be an un-discharged insolvent;

(e) the applicant shall not be a person of unsound mind as declared by a competent court;

(f) the applicant shall not be convicted of any criminal offence.

11C. Registration as Multi-Systems Operator.—(1) On being satisfied that the applicant fulfils the eligibility criteria specified under rule 11B and the requirements of rule 11A, the registering authority shall, subject to the terms and conditions specified in rule 11D and the security clearance from the Central Government, issue certificate of registration.

(2) Where the registering authority is satisfied that registration cannot be granted, it shall inform the applicant in writing giving reasons for such refusal.

11D. Terms and conditions for registration as Multi-Systems Operator.— A person who has been granted certificate under rule 11C shall comply with the following terms and conditions, namely:--

- (a) such person shall comply with all the provisions of the Act and the rules made thereunder,
- (b) such person shall comply with the regulations, orders, directions or guidelines made or issued by the Authority;
- (c) such person shall have the capacity to carry minimum number of television channels specified by the Authority;
- (d) such person shall not carry programming service provided on the channel generated at the level of such Multi-System operator which is in violation of the Programme Code specified in rule 6 and the Advertising Code specified in rule 7.

11E. Provisional registration.—Where an application has been made under rule 11A and the registering authority considers that pending registration, it is necessary to grant provisional registration, it may, after preliminary scrutiny of such application, grant a provisional registration:

Provided that such provisional registration shall not confer any right to the applicant to claim regular registration:

Provided further that where regular registration is refused to be granted by the registering authority, the provisional registration so granted shall stand cancelled.

11F. Deemed Registration of Multi-System Operator in certain cases.—No multi-system operator providing cable television network services in areas as on the date when such areas are notified under sub-section (1) of section 4A shall, with effect from the date specified in that notification, continue to provide such services in such areas unless such operator is granted registration under section 11C.

Provided that a multi-system operator who has been permitted to operate in areas notified prior to the coming into force of the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Act, 2011 (21 of 2011) shall be deemed to have been registered under rule 11C in respect of such areas for the remaining period of the validity of such permission:

Provided further that such operator shall be required to furnish an undertaking to the registering authority at least thirty days prior to the notified date for operation of Digital Addressable System, namely:--

- (a) such operator shall transmit or re-transmit channels only in an encrypted form through a digital addressable system in the notified areas;
- such operator shall comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder and the regulations, orders, directions or guidelines made or issued by the Authority; and

(c) such operator shall deposit the processing fee with the registering authority as prescribed in rule 11A.

Provided also that where such operator fails to do so, the permission which is deemed to have been valid, shall, with effect from the date when such area is notified, stand cancelled."

9. In the said rules, for rule 12, the following rule shall be substituted, namely:--

"12. Public awareness, Information on channels, price of channels, quality standards and grievance redressal.—(1) Every broadcaster, multi-system operator and cable operator shall create public awareness among, and provide information to, the subscribers in the notified areas from a period at least thirty days prior to the date such areas are notified, either through advertisements in the print and electronic media or through such other means including leaflets, printing on the reverse of the receipts, personal visits, group meetings with subscribers or consumer groups, cable service and website, containing salient features of the Digital Addressable Cable System as approved by the Authority and in particular, the following information, namely:--

(a) A-la-carte subscription rates and the periodic intervals at which such subscriptions are payable for receiving the various channels;

(b) the refundable security deposit and the daily or monthly rental payable for the set-top box and its detailed specifications such as make, model, technical specifications, user manuals and maintenance centers.

(c) the number and names of free-to-air channels that the multi-system operator shall provide to the subscribers;

(d) the monthly service charge to be paid by each subscriber for receiving the basic service tier fixed by the Authority and the number of additional free-to-air channels, if any, offered by the Multi-System Operator;

(e) the Quality of Service Standards specified by the Authority and the arrangements made by the Multi-System Operator to comply with these standards;

(f) the Subscriber Management System established by the multi-system operator to demonstrate the functioning of the Set Top Boxes and to interact with the subscribers to explain the various financial, logistic and technical aspects of the system for its smooth implementation;

(g) the subsisting arrangements for resolution of disputes between the multi-system operator and local cable operators and the subscribers in respect of the quality of service standards, payments and refunds.

(2) Every cable operator and Multi-System operator shall devise a mechanism for grievance redressal of subscribers in respect of the services offered by them in such manner as may be specified by the Authority and inform the details thereof, to the subscribers through the cable service or the website or any other appropriate means and such information shall also include the address and telephone number where a subscriber can file a complaint and the time period within which grievances are to be addressed, the manner of communication of the redressal to a subscriber and the feedback thereon from the subscriber.

(3) The Central Government or the Authority, as the case may be, may arrange public awareness activities in the notified areas either directly or through agencies authorized including consumer organizations."

10. In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:--

"13. Supply and installation of Set Top Boxes.--(1) Every subscriber in the notified areas who is desirous of receiving one or more channels may approach any one of the multi-system operators who has been registered under rule 11C, either directly or through any of his linked local cable operators, for supply and installation of one or more set top boxes in his premises and deliver the requisite channels through the same;

Provided that every subscriber shall be free to buy a Set Top Box of approved quality from the open market, if available, which is technically compatible with the system of the multi-system operator and the multi-system operator or the cable operator shall not force any subscriber to buy or to take on rent the set top box from him alone.

(2) Every multi-system operator shall procure, supply and install the required number of set top boxes in the premises of every subscriber who approaches such operator under sub-rule (1) in accordance with the quality standards as may be determined by the Authority by any regulation or order and transmit the requisite channels through the same or through the set top box of approved quality acquired by the subscriber on his own, as the case may be.

(3) Every multi-system operator shall set up and operationalise its subscriber management system within a time frame as may be determined by the Authority by regulation or order, for ensuring efficient and error-free service to the subscribers by recording and providing individualized preferences for channels, billing cycles or refunds.

(4) Upon a subscriber leaving the service area of the multi system operator, he shall be allowed to surrender his set top box and be given full refund of the security deposit, if any, made on the set top box and in the case --

(a) where the set top box was purchased by the subscriber from that multi-system operator, such operator shall buy-back the set top box after making deduction in accordance with the conditions specified to the subscriber at the time of purchase of the set-top box;

(b) in the case of the subscriber shifting his premise within the service area of such operator, he shall be given a transfer voucher for provisioning of a new set top box on the same terms and conditions at the new address:

Provided that a subscriber, who is not satisfied with the services provided by such operator or his linked cable operator, shall be free to opt out of the network of that operator and in the case where the subscriber wishes to opt out, the multi-system operator and his linked cable operator shall allow the subscriber to surrender the Set Top Box provided by it, after making deductions in accordance with the conditions specified to the subscriber at the time of installation of the set-top box”.

11. In the said rules, rule 15 shall be omitted.

[F. No. 9/10/2012-BP & L]

SUPRIYA SAHU, Jt.Secy.

For FORM 1, a new Form shall be substituted , namely,

FORM- 1

(See rule 3 (1))

(To be submitted in duplicate)

Form of application for registration/renewal of registration/issue of duplicate certificate of registration as a cable operator other than multi-system operator.

To,

The Head Postmaster Head Post Office

Application for registration/renewal of registration/issue of duplicate certificate of registration as a cable operator.

1. (a) Name of Applicant (individual/firm/company/association of persons/body of individuals
(b) Age/Date of establishment/Date of incorporation.
- 2 (a) Address (office)
(b) Telephone number (if any)

- 3 (a) Citizenship (for individual applicants/body of individuals)
(b) Details of incorporation in case of Company.
- 4 (a) Amount of fee paid for registration/renewal/issue of duplicate certificate
Rs ----
(b) Name of Head Post Office
(Attach copy of challan vide which the fees have been deposited)
5. Area in which cable television network is working/proposed to be set up..
6. Address of Premise from where service will be provided
- 7(a) Date from which the cable television network is operating/proposed to be set up
7b. Names of Doordarshan and Parliament satellite channels included in cable service
7c. Number of Channels being provided / proposed to be set up.
8. (a) Whether using Television Receive Only (TVRO) Yes/No
(b) If Yes, number and size of TVRO.....
(c) Location.....
9. Copy of earlier registration certificate enclosed. Yes/No
(To be filled in only for renewal of registration).
10. (a) State reasons for issue of duplicate certificate of registration
(attach mutilated or defaced original certificate of registration/copy of report made to the police in case of theft or loss of the original certificate)
(b) Period of validity of the original Registration Certificate for which the duplicate Registration Certificate is being sought
11. Documents to be attached:
 - A) In case of an individual
 - (i) ID proof
 - (ii) Proof of residence
 - (iii) PAN number
 - (iv) Copy of current Income Tax Return, if any.
 - (v) Copy of Income Tax, Service Tax and Entertainment Tax in case of renewal of registration.

15/240/112-7

B) In case of association or body of individuals

- (i) Document by which the association or body of individuals has come into existence, including address and details of office bearers.
- (ii) PAN number
- (iii) Copies of current Tax returns for Income Tax, Service Tax, and entertainment tax, if any.
- (iv) Copy of Income Tax, Service Tax and Entertainment Tax in case of renewal of registration

C) In case of companies

- (i) A copy of the certificate of incorporation of the company alongwith copies of Memorandum of Association and Articles of Association, details of Board of Directors, Chief Executives & shareholding pattern.
- (ii) PAN number
- (iii) Copies of current Tax returns for Income Tax, Service Tax & Entertainment Tax, if any.

(If these numbers are not available at the time of application, the same can be allowed to be submitted within two months. Applicant shall be required to file an affidavit to this effect along with the application for grant of registration).

- (iv) Copy of Income Tax, Service Tax and Entertainment Tax in case of renewal of registration

[Note: In case of any change in the above, same shall be intimated to the Registering authority within a month such changes taking place.]

12. Declaration in Form 2 on a stamp paper of Rs.10 enclosed. Yes/No
(To be filled in for *registration/renewal of registration only)

I/We ----- the applicant(s) *(Individual/firm/company/association of persons/body of individuals) do hereby declare that the above facts are correct in all respects.

Signature of Applicant

*(Individual/firm/company/association of persons/body of individuals)

Place:

Name-----

Date:

Address-----

Score out the word or words which are not applicable.

**For FORM 2, a new Form shall be substituted, namely,
FORM- 2**

(See rule 3(3) and Rule 11A(2))

I/We ----- the applicant(s) (individual/firm/company/association of person/body of individuals) for registration as a cable operator/Multi-System operator/renewal of registration as a cable operator/Multi-System operator do hereby declare that:-

- (i) I/We shall ensure that my / our cable television network shall be run in accordance with the provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, and the rules made thereunder, regulations, orders, guidelines or the directions issued by the Central Government or the Authority from time to time.
- (ii) I/We shall not permit/associate any person who is not eligible to run a cable television network under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 to run/with the running of my/our cable television network.
- (iii) I/We shall strive to the best of my / our ability to provide cable service to the satisfaction of the subscriber (s) of my/our cable television network.
- (iv) I/We shall strive to the best of my / our ability to ensure that my / our cable television network is not used for any unlawful purpose.
- (v) I/We shall obtain the necessary approval/clearance from the relevant authority for the running of my / our cable television network.

15/12/2019-5

(vi) I/We shall abide by any direction issued by the Central Government in respect of the running of a cable television network within India.

(vii) I/We shall transmit or re-transmit channels in the area notified under section 4 A of the Act in an encrypted form through a digital addressable system and in the event of failure to do so, our existing registration is liable to be cancelled.

- I/we shall not carry programming service provided on the channel generated at the my/our level, which is in violation of the Programme & Advertising Codes prescribed in Rules 6 and 7.

- I/we have not been convicted for a criminal offence.

- I/we are not of unsound mind as declared by a competent court;

- I/we are not an undischarged insolvent

- I/We have submitted all the documents as prescribed in Form 1 (in case of cable operators) and Form 6 (in case of Multi-System Operator).

Signature of Applicant

(Individual/firm/company/association of persons / body of individuals)

Place:

Name

Date:

Address

Score out the word or words which are not applicable

For FORM 3, a new Form shall be substituted , namely,

FORM-3

(See rule 5(1))

Government of India

Head Post Office

REGISTRATION CERTIFICATE NUMBER

1. Shri/Shrimati/M/s----- resident of -----/ the Company named, ----- is registered as a cable operator (individual, firm, *Company, association of persons or body of individuals) for running a cable television network at the following address in the city/town of ----- for a period of twelve months with effect from -----
The Registration Number is -----.

2. This Certificate is only valid for the premises stated above.

3. This certificate is subject to the condition that the applicant shall not carry any programme in a programming service provided on the channel generated at the level of such cable operator, which is in violation of the Programme and Advertising Code laid down in Rules 6 and 7 respectively of the Cable Television Networks Rules, 1994.

4. This Registration Certificate is not transferable.

4. The Certificate shall remain valid for the period indicated above or till the holder carries on the cable service or where the surrender of the certificate is accepted by the competent authority.

Head Post Master
Head Post Office

Place :

Date:

----- (town/city)

TO BE DISPLAYED PROMINENTLY ON THE PREMISES OF THE CABLE OPERATOR.

* Tick whichever is appropriate.

For FORM 3A, a new Form shall be substituted, namely,

FORM-3A

(See Rule 5(2))

Government of India

Head Post Office

DUPLICATE REGISTRATION CERTIFICATE

1. Shri/Shrimati/M/s..... resident of..... / the company named,----- is registered as cable operator *(individual/firm/company/association of persons or body of individuals) for running a cable television network at the following address in the city/town of for a period of twelve months with effect from..... (date from which the original Registration Certificate was valid).
His Registration number is.....

2. This Certificate is valid only for the premises stated above.

3. This certificate is subject to the condition that the applicant shall not carry any programme in a programming service provided on the channel generated at the level of such cable operator, which is in violation of the Programme and Advertising Code laid down in Rules 6 and 7 respectively of the Cable Television Networks Rules, 1994.

4. This Registration Certificate is not transferable.

4. The Certificate shall remain valid for the period indicated above or till the holder carries on the cable service or where the surrender of the certificate is accepted by the competent authority.

Head Post Master
Head Post Office
(Town/city)

Place: Date:

TO BE DISPLAYED PROMINENTLY ON THE PREMISES OF THE CABLE OPERATOR

*Tick whichever is appropriate

For FORM 4, a new Form shall be substituted , namely,

FORM-4

(See rule 5 (3))

To

Sir,

Reference your application dated -----for registration as a cable operator.

The necessary registration cannot be granted to you for the following reason (s): -

(i) Application is incomplete for the following reasons:

- a.
- b.
- c.

(ii) Registration fee has not been tendered.

(iii) Applicant is not a citizen of India

(iv) Any other reason

Head Post Master

Head Post Office

Place: -----

Date: -----

For FORM 6, a new Form shall be substituted , namely,

FORM-6

[See Rule 11 A]

(To be submitted in duplicate)

To

The Secretary

Ministry of Information & Broadcasting,

'A' Wing, Shastri Bhawan,

New Delhi - 110001.

Subject: Application for grant of registration to multi system operators to provide cable television network services with digital addressable system in any or more notified areas.

Sir,

I hereby submit the following details for grant of registration

1.(a) Name of the Applicant (individual/firm/company/association of persons/body of individuals) **

(b) Age/Date of establishment/Date of Incorporation

(c) : Address of the premise from where the service will be offered

- 2(a). Citizenship (for individual applicants/body of individuals)
(b) Details of incorporation in case of Company.
- 3.(a) Bank Draft of Rs.1,00,000 in favour of Pay & Accounts Officer, Ministry of Information & Broadcasting.
- (b). PAN Number
- (c) Copy of current Income Tax, Service Tax and Entertainment Tax returns . If not available, the reasons therefor.
- (d) Service Tax Registration Number of individual/firm/company/association of persons/body of individuals. (If the number is not available at the time of application, the same can be allowed to be submitted within two months. Applicant shall be required to file an affidavit to this effect along with the application for grant of license)
- (e) Entertainment Tax Registration Number
4. Details of existing Registration as a Cable Operator
- Name of the Post Office with which registered
 - Registration No./Validity up to
 - Copy of the Registration Certificate (enclose)
5. Complete Postal Address with Telephone/Fax No. /E-mail ID
- Corporate Office/Head Office
 - Registered Office
 - Regional Offices
 - Address of Correspondence
6. Name of authorized contact person, his designation and telephone/fax No. /E-mail ID
- 7 *Registration detail under Companies Act, 1956: Incorporation No. and Date (Attach a copy of Certificate of Incorporation and Memorandum and Article of Associations)
8. *Board of Directors (Attach list of Directors along with bio-data of each Director giving date of birth, place of birth, parentage, nationality, permanent address, residential address, official address, passport No. (if any), qualification, experience, etc.
9. *Attach list of key executives including CEO/MD along with details as in 8 above.

15/09/12-9

10. Authorized Share Capital, (ii) Paid-up Share Capital, (iii) Net worth (enclose a copy of the audited Balance Sheet and Profit & Loss Account for the immediate preceding year and certificate of Net Worth on the basis of these documents by a Chartered Accountant).
11. Details of availability/arrangement of funds for operation of cable service as MSO (sufficient proof to be enclosed).
12. (i) Present Area of Operation (if in more than one city, city-wise details to be given).
(ii) DAS notified Area or Areas proposed to be covered by the applicant (if in more than one city, then city-wise details should be given)
13. No. of channels being provided (own/broadcasters') (give names separately for own channels and broadcasters' channels).
14. Whether the capacity to carry minimum number of channels specified by the Authority is available- Yes / No.
15. Other value added services being provided (details along with their copies of licenses).
16. Total no. of each of local cable operators and subscribers covered (attach list of local cable operators with their telephone nos. /fax nos. /E-mail IDs and the number of subscribers each of the cable operators has with him.)
17. Details of past experience/field of activity.
18. Preparedness to supply and maintain adequate number of Set Top Boxes for the subscribers and installation of subscriber management system (give details to substantiate your claim including no. of Set Top Boxes already available/orders placed/network of authorized persons/agents to supply and provide after sales service).
19. Number of Agreements signed with broadcasters to supply their channels under Digital Addressable System (DAS) scheme (Give names of broadcasters and their channels for which agreements signed along with copies of agreements to substantiate your claim)
20. What arrangements have been made/proposed to be made to give wide publicity to DAS scheme in each of the notified areas, as approved by the Authority. (Give full details).
21. Undertaking on a stamp paper of Rs.10 as per Form 2.

..... I/We , the applicant(s)
**(individual/firm/company/association of persons/body of individuals) do hereby
declare that the above facts are correct in all respects.

I/We hereby undertake to abide by all the conditions/directions/orders that the
Central Government or the Authority may lay down/issue for the smooth
implementation and operation of DAS scheme in the notified areas.

Signature of Applicant/Authorized person
**(individual/firm/company/association of
Persons/body of individuals)

Place
Name

IndiaCode